Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में रेल्वे के सहायक अधिशाषी अभियन्ता 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की अलवर द्वितीय इकाई द्वारा आज रविवार को कार्यवाही करते हुये रमेश सिंह सहायक अधिशाषी अभियन्ता, (ब्रिज लाईन) कार्यालय डिप्टी चीफ इंजीनियर, उत्तर मध्य रेल्वे, आगरा को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म को रेल्वे के लगभग 15–15 करोड़ के दो वर्क ऑर्डर प्राप्त हुये थे, जिनके बकाया बिल भुगतान की एवज में रमेश सिंह सहायक अधिशाषी अभियन्ता, (ब्रिज लाईन) कार्यालय डिप्टी चीफ इंजीनियर, उत्तर मध्य रेल्वे, आगरा द्वारा 1 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की अलवर द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र मीणा** एवं उनकी टीम द्वारा रामगढ़ अलवर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये रमेश सिंह पुत्र श्री प्रताप नारायण सिंह निवासी 4035, रणजीत होटल के सामने, आगरा केन्ट, जिला आगरा उत्तरप्रदेश हाल सहायक अधिशाषी अभियन्ता, (ब्रिज लाईन) कार्यालय डिप्टी चीफ इंजीनियर, उत्तर मध्य रेल्वे, आगरा को परिवादी से 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।